



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-196/2021 दिनांक 18.07.2021)

दिनांक- 18.07.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना तरयासुजान-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के पर्यवेक्षण तथा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज के नेतृत्व में अवैध शराब निष्कर्षण/विक्री/परिवहन के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा सक्रियता से शराब तस्कर द्वारा अवैध शराब को बिहार ले जाते समय पुलिस द्वारा अपने पकड़े जाने से बचने के लिए शराब को गन्ने के खेत में फेक कर भागे जिस सम्बन्ध में ग्रामीणों की सूचना पर शराब को कब्जे में लेकर मु0अ0सं0 263/21 धारा 60 आ0अधि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाश हेतु टीम गठित कर कार्यवाही की जा रही है।

घटना का स्थान व समय-

ग्राम तरया पश्चिम भूषण राय एवं ग्राम पथरवा के व्यास सिंह के गन्ने के खेत में

बरादगी का विवरण-

हरियाणा निर्मित हाई स्पीड व्हिस्की अंग्रेजी शराब 430 शीशी अवैध शराब 180 एमएल

थाना ने0 नौरंगिया-

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त बुद्धु प्रसाद पुत्र राधेश्याम साकिन लौकरिया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0- 218/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी-

थाना तरयासुजान-

थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1. मोहरर्म पुत्र स्व0 झग्गर मियाँ साकिन सरया खुर्द गद्दी टोला थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर 2. निजामुद्दीन अंसारी पुत्र स्व0 दिल मोहम्मद साकिन सरया खुर्द गद्दी टोला थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 226/21 धारा 147/323/504/506/452/325/308 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 09 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 233 वाहन।
- 2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-39,अभि0-139 ।
- 3.आबकारी अधिनियम में कार्यवाही-मु0-01,अभि0-01,बरामदगी- 20 ली0 कच्ची शराब।
4. वांछित अभियुक्तों कि गिरफ्तारी -(02)
- 5.जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-12)